International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 6, June 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक आशा कि किरण

मगन लाल पाण्डोर
शोधार्थी
गोविन्द गुरु जनजाती विश्वविद्यालय बांसवाड़ा

सूचना के अधिकार को देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित किए जाए। वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचने का जो अर्थ है, को लेकर इस अधिनियम के माध्यम से उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जाएँगा तथा यहीं वातावरण आगे जाकर प्रशासन को कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनों का अधिकारिक प्रयोग करने तथा संवदेनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध हुआ है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

प्रशासन में जनसहभागिता सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता से शासन की गुणवत्रा, दैनिक कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता की वृद्धि होती है आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराना कामकाज का एक सामान्य कार्य है। वर्तमान में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों एवं आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक वैश्विक प्रवृति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन संबंधी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त व जागरुक हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं की कार्यशैली में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के निर्माण से नागरिकों को भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा प्रभावहीन कर दिया है। पूर्व में सूचना प्रदान करना संबंधित विभाग के अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर था। इस अधिनियम के उदय के पश्चात् आम नागरिकों का शासन व विकास संबंधी विषयों पर जानकारी का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं तक पहुँच के कारण खराब नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में सहायक सिद्ध हो रहा हैं, जिससे देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नये युग का संचार होगा।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में केन्द्र सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक "प्रगतिशील सहभागिता आधारित और सार्थक" बनाने के ध्येय से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन किया, जिसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य समर्थकों को शामिल किया तत्पश्चात् सिफारिशों के आधार पर 2004 में सूचना स्वतन्त्रता अधिनियम में संशोधन किए गए। इसी वर्ष संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 11 मई, 2005 को लोकसभा में इस विधेयक को पारित किया गया। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धाराएँ 4 (1), 5 (1)

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 6,June 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

(2) तथा 12, 13, 15, 16, 24, 27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गई, जबकि शेष धाराएँ 12 अक्टूबर, 2005 से देश भर में प्रभावी हुई।

सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र व राज्य सरकारों, स्थानीय व शहरी निकाय, पंचायती राज संस्थाएँ तथा उन सभी निकायों जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित गठित, नियन्त्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन है पर लागू है। कतिपय न्यूनतम अपवाद के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए है। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराए जाने से जनहित को नुकसान पहुँचता है, उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है, जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है।

प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या एक वैश्विक समस्या है, परन्तु भारत में इस समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है। वर्तमान में भारत भ्रष्टाचार से व्याप्त राष्ट्र में सम्मिलित है। स्वाधीनता के पश्चात् भारत में भ्रष्टचार इतना बढ़ चुका है कि आम व्यक्ति के लिए बगैर रिश्वत के है किसी सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारी से काम करवाना असम्भव प्रतीत हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के निकम्मेपन एवं भ्रष्टाचार के बढ़ावे के कारण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। सूचना के अधिकार के प्रयोग से एक सीमा तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

यह इस कानून के उपयोग से उत्पन्न शक्ति है कि सरकारी खर्चे का हिसाब एवं विकास के कार्यों की सूचना माँगी जा सकती है। क्योंकि सूचना का अधिकार सरकार और नागरिकों के मध्य संबंधों को पुनः परिभाषित करता है। विश्व में भ्रष्टाचार की स्थिति का अध्ययन करने वाली संस्था ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल के सर्वेक्षण के अनुसार, जिन देशों में जनता को सूचना का अधिकार दिया गया, उन देशों में भ्रष्टाचार में कमी देखी गई है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार की दीमक ने विकास के सपनों को खोखला कर दिया है। ऐसा कह सकते हैं कि सरकारी विभाग तो घाटे में चल रहे हैं परन्तु विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मालामाल हो गए हैं। भ्रष्टाचार के संबंध में पूर्व मुख्य सर्तकता आयुक्त एन विठ्ठल ने एक बार कहा था कि "भ्रष्टाचार भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों का एक व्यापार है। इस व्यापार में बहुत कम जोखिम है। अगर हमें रोकना हैं तो जोखिम की मात्रा बढ़ानी होगी।

"सूचना के अधिकार से उन संस्थाओं की सक्रियता भी बढ़ जाएगी, जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रयासरत है। भारत एक गरीब देश है परन्तु देश के सरकारी अधिकारी गरीब नहीं है। अनुमान यह भी लगाया जा सकता है कि यदि भ्रष्ट अधिकारियों का धन एकत्र किया जाए तो पूरे देश का ऋण उतर सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक बार वक्तव्य दिया था कि "यदि जनता के कार्यों के लिए एक रुपया आवंटित किया जाता है तो जनता तक केवल 15 पैसे पहुँच पाता है और शेष 85 पैसे सरकारी तंत्र में खप जाते हैं।" यह उद्‌बोधन भ्रष्टाचार की चरम सीमा की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

संसद, न्यायपालिका एवं जनमानस के संयुक्त प्रयासों से भ्रष्टाचार के विरूद्ध विचारधारा उत्पन्न हुई और ऐसी विचारधारा का आदर करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है और यह आशा व्यक्त की गई है कि इस अधिनियम के माध्यम से

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 6,June 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सरकारी अधिकारियों की नाक में नकेल डाल सकते हैं, और उनकी भ्रष्ट नीतियों व आचरण पर अंकुश लगाया जा सकता है।

जन का शासन, तंत्र को मुस्तैदी को सूचना का अधिकार से सुनिश्चित किया जा सकता है। लोकनीति के निर्माण, निष्पादन एवं मूल्यांकन, तीनों स्तरों पर जनता को सहभागी बनाया जाना आवश्यक हैं तभी शासन में पारदर्शिता एवं जनता के प्रति अधिकारियों को सिद्ध हुआ है। जवाबदेही तथा बाबूशाही की निरंकुशता और जड़ता को एक हद तक नियन्त्रित कर सकते हैं। आज आम व्यक्ति को यह भावना है कि भ्रष्टचार रूपी भाग प्रत्येक कुएँ में घुली है। इस भावना को ध्यान में रखकर एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं व्यावहारिक शासन की स्थापना करना इस अधिनियम का मूलमंत्र है।

सक्षम एवं सक्रिय पंचायती राज व्यवस्था के लिए सूचना को अधिकार खासा महत्वपूर्ण है। 7वे संवैधानिक संशोधन के पश्चात् पंचायती राज के सशक्त बने एवं विकेन्द्रित आयोजना के लक्ष्यों के पूरा होने के लिए सूचना का अधिकार महत्त्वपूर्ण है।

वस्तुतः प्रारम्भिक तौर पर सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार से लड़ने से संबंधित था, जो राष्ट्र की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित कर सकता था। यथार्थ रूप से छोटे लोगों की मात्र न्यूनतम आवश्यकताओं को सामान्य कार्मिकों के छोटे–मोटे अपराध से बचाने का था, जो हकीकत में ग्रामीणों के लिए एक जीवन मृत्यु जैसे प्रश्न से जुड़ गया है। ग्रामीण भारत में सर्वप्रथम एम. के एस. एस. ने यह स्थापित कर दिखाया कि पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार से लड़ा जाना सम्भव है। इस हेतु जनसुनवाई उनका हथियार बना सन् 1994 की शरद ऋतु में एम. के एस एस आन्दोलन ने एक नए चरण में प्रवेश किया। जन सुनवाई के माध्यम के तरीके से भ्रष्टाचार से लड़ने के परीक्षणों द्वारा नई पृष्ठभूमि तैयार की गई इस आन्दोलन का अपना स्थानीय महत्र होते हुए भी, इसकी प्रतिध्वनिया राज्य में व्यापक रहो। और राज्य की नौकरशाही के परम्परागत एकाधिकार, स्वेच्छाचारिता और भ्रष्टाचार की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। इस आन्दोलन में एक ऐसे उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण नए आयाम के विकास के बीज समाए हुए हैं, जो गरीब को शक्तिवान बनाने और राज्य की संरचनाओं के संदर्भ में उनके स्थान एवं शक्ति के गम्भीर परिवर्धन में सहायक रहा हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम की उत्पत्ति एवं इसका सफलतापूर्वक पालन एक भ्रष्टचारमुक्त शासन व्यवस्था में विकास को महत्वपूर्ण भूमिका एवं प्रजातंत्र के यथार्थ विकास को एक आशा की किरण बन गया है।

सन्दर्भ

- यादव, डॉ. अभय सिंह (2010), सूचना का अधिकार अधियिम, 2005, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, पृ.सं. 04
- मेहता, चतर सिंह (2011), सूचना का अधिकार, यूनिक्यु टेडर्स, जयपुर, पृ.सं. 405
- कुमार, डॉ. नीरज (2011), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, भारत लॉ हाऊस नई दिल्ली, पृ.सं. 976
- आसोपा, डॉ. सुनिल (2010), सूचना का अधिकार, एपेक्स पब्लिशिंग हाऊस, उदयपुर, जयपुर, पृ.सं. 7–8

- राजस्थान सूचना आयोग, वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2009–10, हरिश्चन्द्र माथुर लोकप्रशासन संस्थान, जयपुर. पृ.सं. 02/24–23